

प्रेस नोट दिनांक 11.06.2022

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा बलवा व नारेबाजी करते 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 10.06.2022 को व0उ0नि0 श्री सुनील कुमार शर्मा मय हमराह कर्म0गण के गस्त व शान्ति व्यवस्था डियूटी में मामूर होकर थाना क्षेत्र के ग्राम रायपुर बाजार में पहुँचे तो काफी अधिक संख्या में लोग हुल्लडबाजी करते हुये प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे जब पुलिस बल ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो नहीं माने बल्कि पुलिस पार्टी को देखकर लाठी डण्डों व ईंट पत्थरों से लैस होकर पुलिस पार्टी पर पथराव करने लगे , व0उ0नि0 श्री सुनील कुमार शर्मा द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुये मौके पर उ0नि0 श्री बलवीर सिंह मय उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार नैन मय हमराह कर्म0गण को मौके पर बुला लिया तथा हुल्लड पार्टी को पुन बुलन्द आवाज में अपनी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिये कहा , ना मानने पर पुलिस पार्टी द्वारा हुल्लड पार्टी का पीछा करते हुये मौके से 03 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया व पुलिस पार्टी की जवाबी कार्यवाही देखकर शेष अन्य व्यक्ति मौके से भागने में सफल रहे । अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 131/2022 धारा 147/148/332/353 आईपीसी व 07 क्रि0ला0 एमेण्डमेन्ट एक्ट पंजीकृत हैं तथा शेष अन्य वांछित अभियुक्तगण भागने में सफल रहे जिनकी धरपकड हेतु श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर द्वारा टीमों का गठन किया गया तथा वांछित अभियुक्तों की धरपकड हेतु अभियान चलाया गया , दिनांक 11.06.22 को मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्तगण को रायपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया तथा शेष वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु धरपकड अभियान जारी रहा , दिनांक 12.06.22 को पुलिस पार्टी द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 05 नफर अभियुक्तगण को मुखबिर खास की सूचना पर आलमपुर तिराहे के पास बिजलीघर से गिरफ्तार कर लिया गया , सभी अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अफजाल पुत्र रिफाकत निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. मुकीम पुत्र असलम निवासी उपरोक्त
3. मुरसलीन पुत्र फजलूरहमान निवासी उपरोक्त
4. दानिश पुत्र अशरफ निवासी उपरोक्त
5. अनवार पुत्र अताउररहमान निवासी उपरोक्त
6. मुदरिसर पुत्र असलम निवासी उपरोक्त
7. मुख्तार पुत्र शमशाद निवासी उपरोक्त
8. वरीस पुत्र इरफान निवासी उपरोक्त

बरामदगी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
- उ0नि0 संजीव कुमार शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
- उ0नि0 बलवीर सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
- उ0नि0 प्रमोद नैन थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
- का0 2346 शशिकान्त थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
- का0 614 मोन्टी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

-:प्रेस नोट:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार, श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर /क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के कुशल निर्देशन व थाना प्रभारी/पुलिस उपाधीक्षक महोदय के नेतृत्व में दिनांक 12.06.2022 को उ0नि0 कृष्णपाल सिंह मय हे0का0 166 उपेन्द्र कुमार मय का राहुल कुमार 2371 0द्वारा दौराने चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु व वाहन, रोकथाम जुर्म जरायम मे बेहट अड्डा पर कही जाने की फिराक मे खड़े **अभि0/गण** 1-राहुल पुत्र राकेश निवासी धोबीघाट प्राणपुरी पुरी कालोनी थाना मण्डी स पुर02- राजेश पुत्र मदनलाल निवासी उपरोक्त सम्बन्धित **मु187 0स0अ0/ 22** वि0द0भा 307 धारा0 मे गिरफ्तार किया गया अभियुक्त/गण 1-राहुल उपरोक्त 2- राजेश उपरोक्त शातिर किस्म के अपराधी है। गिरफ्तार किये गये अभि0गण का विवरण निम्न है-

गिरफ्तार अभियुक्त/गण का नाम, पता -

- 1 -राहुल पुत्र राकेश निवासी धोबीघाट श्याम पुरी कालोनी थाना मण्डी स पुर0
- 2- राजेश पुत्र मदनलाल निवासी उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 कृष्णपाल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. हे0 का0 166 उपेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का राहुल कुमार 2371 0थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास—

मु187 0स0अ0/वि0द0भा 307 धारा 220 थाना मण्डी सहारनपुर।



प्रेस नोट दि० 12.6.2022

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर पर पंजीकृत मु०अ०स० 204/22 धारा 457/380 भादवि का अनावरण हेतु अभियान चलाया गया जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सर्किल नकुड जिला सहारनपुर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक विशाल श्रीवास्तव द्वारा टीम गठित की गयी तथा थाना रामपुर मनि० जिला सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०स० 204/22 धारा 457/380 भा०द०वि० का सफल अनावरण करते हुए अभि० गण 1. रोबिन पुत्र ऋषिपाल निवासी सरस्वती कालोनी देवबंद रोड कस्बा रामपुर थाना रामपुर मनिहारान के कब्जे से लोहे के छोटे बड़े 30 लोहे के पाइप व एक तमंचा 315 बोर मय दो जिन्दा कार० 2. सूरज पुत्र विक्रम निवासी सुशीला गार्डन शिवपुरी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर के कब्जे से लोहे के छोटे बड़े करीब 37 पाइप व एक तमंचा 12 बोर मय दो जिन्दा कार० 12 बोर 3. सचिन पुत्र प्रेम चंद निवासी मौहल्ला काजियान थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर के कब्जे से लोहे के छोटे बड़े करीब 40 पाइप व एक अदद कटार 4. आशीष पुत्र अनिल निवासी मौहल्ला बंजारन थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर के कब्जे से एक अदद चाकू 5. अजय पुत्र जयपाल निवासी मौहल्ला काजियान थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर के कब्जे से एक अदद छुरी उरसी समय करीब 09.20 बजे को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया तथा थाना हाजा के मु०अ०स० 206/22 धारा 3/25 आयुध अधि० बनाम रोबिन उपरोक्त , मु०अ०स० 307/22 धारा 3/25 आयुध अधि० बनाम सूरज , मु०अ०स० 208/22 धारा 4/25 आयुध अधि० बनाम सचिन उपरोक्त व मु०अ०स० 209/22 धारा 4/25 आयुध अधि० बनाम आशीष उपरोक्त व मु०अ०स० 210/22 धारा 4/25 आयुध अधि० बनाम अजय कुमार के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त गण के नाम व पता –

1. रोबिन पुत्र ऋषिपाल निवासी सरस्वती कालोनी देवबंद रोड कस्बा रामपुर थाना रामपुर मनिहारान
2. सूरज पुत्र विक्रम निवासी सुशीला गार्डन शिवपुरी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
3. सचिन पुत्र प्रेम चंद निवासी मौहल्ला काजियान थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
4. आशीष पुत्र अनिल निवासी मौहल्ला बंजारन थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
5. अजय पुत्र जयपाल निवासी मौहल्ला काजियान थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

बरामद माल

अभि० रोबिन के कब्जे से लोहे के छोटे बड़े 30 लोहे के पाइप है पहनी पेंट की दाहिने सुडडे से एक तमंचा 315 बोर मय दो जिन्दा कार०



प्रेस नोट दिनांक 12/06/22 थाना नकुड जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशों निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्रों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री नरेश कुमार थाना नकुड के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड पुलिस द्वारा आज दिनांक 12.06.22 को गश्त व चौकियों के दौरान एक नफर अभि० विकास पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम ढकदेई थाना नकुड जिला सहारनपुर को मय एक अदद चाकू नाजायज के समय करीब 09.20 बजे फन्दपुरी बस स्टैण्ड से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु०अ०स० 250/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम विकास पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम ढकदेई थाना नकुड जिला सहारनपुर पंजीकृत किया गया। अभि० को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभि० का नाम व पता:-

1. विकास पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम ढकदेई थाना नकुड जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्र०नि० श्री नरेश कुमार
2. उ०नि० रविन्द्र कुमार
3. का० 1268 रविन्द्र कुमार
4. का० 326 रिंकू कुमार

थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक- 12.06.2022

दिनांक 11.06.2022 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के आदेशानुसार व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री राजेश कुमार व क्षेत्राधिकारी सदर श्री नीरज सिंह महोदय के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष सत्येन्द्र कुमार राय महोदय थाना चिलकाना के कुशल नेतृत्व में चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध अस्लाहो की रोकथाम सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के दौरान शातिर अपराधी अभि० महताब पुत्र अनवार नि० मौ० मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना जिला स०पुर को दिनांक 11.06.2022 को समय 17.40 बजे जंगल ग्राम नल्हेड़ा कच्चा-पक्का रास्ता से एक 12 बोर तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 174/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। अभि० को समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभि० महताब पुत्र अनवार नि० मौ० मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना जिला स०पुर

बरामदगी

एक 12 बोर तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस नाजायज 12 बोर का

आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०स० 455/2020 धारा- 3/25 भादवि थाना चिलकाना थाना स०पुर ।
2. मु०अ०सं० 174/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना स०पुर ।

गिरफ्तार करने वाले अधि०/कर्म०गण

- 1- उ०नि० अतुल कुमार चिलकाना स०पुर ।
2. उ०नि० जितेन्द्र राणा थाना चिलकाना स०पुर ।
3. का० 2208 रोहित कुमार थाना चिलकाना स०पुर

प्रेस नोट दिनांक 12-06-2022

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा ग्राम सूभरी में विकास की हत्या करने वाला

01 शातिर हत्यारोपी गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर (आला कत्ल), 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 250 रूपये, 01

बीडी का मण्डल, 01 माचिस बरामद:-

अवगत कराना है कि दिनांक 07-06-2022 को ग्राम सूभरी में श्री बाबुराम पुत्र अफलातून निवासी ग्राम सूभरी थाना बडगाँव, सहारनपुर द्वारा अभियुक्त 1-रामपाल पुत्र अफलातून 2-मनीष उर्फ मोनू पुत्र रामपाल 3-राहुल पुत्र रामपाल नि0गण ग्राम सूभरी थाना बडगाँव, सहारनपुर ने उसके पुत्र विकास की हत्या करने के सम्बन्ध में थाना बडगाँव पर मु0अ0सं0 99/22 धारा 302 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुये अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश थाना बडगाँव पुलिस को दिये गये।

जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11-06-22 को थाना बडगाँव पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमें में नामित किये गये अभियुक्तों की नामजदगी विवेचना में किये गये साक्ष्य संकलन से गलत पायी गई तथा अभियुक्त अभिजीत पुत्र धीर सिंह नि0 ग्राम सूभरी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर का नाम प्रकाश में आने पर थाना बडगाँव पुलिस के अथक प्रयास से प्रकाश में आये अभियुक्त अभिजीत उपरोक्त को दिनांक 11-06-22 को समय शाम 05:00 बजे ग्राम सूभरी में स्थित अभियुक्त के ट्यूबवैल से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई तथा अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त किया गया 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर (आला कत्ल), 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 250 रूपये, 01 बीडी का मण्डल, 01 माचिस बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना बडगाँव पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभि० का नाम व पता:

1-अभिजीत पुत्र धीर सिंह नि0 ग्राम सूभरी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

1-01 अदद देशी तमंचा 315 बोर (आला कत्ल)

2-01 खोखा कारतूस 315 बोर

3-04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

4-250 रूपये

5-01 बीडी का मण्डल

6-01 माचिस

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मेरे बाबा मोहर सिंह के तीन भाई हैं। जिसमें सबसे बड़े बाबूराम और छोटे रामपाल हैं। मेरे बाबा की चाची मूर्ति देवी जिनके कोई भी लडका नहीं था। केवल एक लडकी थी। उसकी शादी उन्होंने कर दी थी। मेरे बाबा की चाची मूर्ति देवी के पास 23 बिघा जमीन थी। जो उन्होंने मेरे बाबा के भाई रामपाल के लडके राहुल और मनीष के नाम करीब 06-07 महीने पहले बैनामा कर दिया था। विकास पुत्र बाबूराम इसी बात को लेकर मेरे बाबा के भाई रामपाल व उनके लडके राहुल और मनीष से नाराज चल रहा था। और हर हालत में अपने हिस्से की जमीन हर हाल में लेना चाहता था। इसी कारण विकास ने 03 माह पूर्व मनीष पर गोली चला दी थी। गोली उसके सिर को छूते हुए निकल गयी थी। तभी से वह छुपा-छुपा भागा हुआ घूम रहा था। दिनांक 06.06.22 को मैं किराये की गाडी लेकर गाँव फहीमपुर खुर्द थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर में नीरज पुत्र शौसिंह से उधार दिये पैसे लेने गया था। वही पर मेरे दोस्त बिट्टू पुत्र श्रीपाल और सैन्की पुत्र राजकुमार नि0गण फहीमपुर खुर्द मुजफ्फरनगर मिल गये। मैं उनके साथ बडगाँव आया। बडगाँव से हम लोगो ने राकेश के दाबे से खाना व ठेके से शराब ली और अपनी ट्यूबवैल के लिए चल दिये। रास्ते में मैंने अपने चाचा विकास को फोन करके बताया कि मैं वापस आ गया हूँ। मैं शराब लेकर ट्यूबवैल पर आ रहा हूँ, आप भी वही आ जाओ। हम लोगो ने शाम को शराब पी और वही सो गये। मेरा चाचा विकास रात में 12.00 बजे अपने घर आ गया था। मैं, बिट्टू और सैन्की वही ट्यूबवैल पर सो गये थे। सुबह होने पर चाचा विकास फिर ट्यूबवैल पर हमारे पास आ गये। फिर मैं और बिट्टू बडगाँव से शराब व समोसे खाने के लिए लेकर गये। हमने दिन में शराब पी जब हमें नशा हो गया। मेरा चाचा विकास बोला आज रामपाल व रामपाल के लडको से जमीन का हिसाब करेंगे। और हम दोनो बिट्टू व सैन्की से यह कहकर कि 10-15 मिनट में आ रहे हैं, तुम यही रहना कहकर दिन में करीब 03.15 बजे बाबा रामपाल के घर पहुँच गये।

बाबा रामपाल घर पर अकेले कमरे में लेटे हुए थे। तभी विकास ने जाकर उनसे जमीन के बारे में कहा सुनी शुरू कर दी तो बाबा रामपाल ने कहा कि जमीन चाची ने मेरे लडको के नाम कर दी है। तुम वही जाओ और उन्हीं से जाकर कहो। यदि वो तुम्हें जमीन देने के लिये तैयार हो जाये तो मैं तुम्हारे हिस्से की जमीन तुम्हें दे दूँगा। इसी बीच विकास, रामपाल बाबा से हाथापाई करने लगा तो मैं किसी तरह से छुटाकर उसको गेट तक लाया। और गेट से पुनः वह छूटकर कमरे में चला गया। और जाते जाते उसने रामपाल बाबा का गला दबा लिया। और मैंने उन्हें किसी तरह छुड़ाया और गेट तक लाया लेकिन वह छूटकर पुनः कमरे में जाने लगा तो मुझे आभास हो गया कि आज विकास रामपाल बाबा को मार देगा। और इसके साथ मैं भी फस जाऊँगा। तो मैंने अपने पास लिए 315 बोर के तमंचे से नशे की हालत में उसके सिर में पीछे से गोली मार दी। जिससे वह वही दरवाजे में गिर गया। और मैं भाग कर घर से निकल आया। और तमंचा कारतूस वही ट्यूबवैल के पास छिपाकर रख दिये। और इधर उधर ईखों में घूमने के बाद शाम को गाँव चिराऊ में सौरभ पुत्र जोगेन्द्र के घर पर सोया और सुबह वहाँ से बिरालसी चला गया था वहाँ से फिर शामली चला गया था। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं पैसे की व्यवस्था करने के लिए गाँव में आया था।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त अभिजीत पुत्र धीर सिंह नि० ग्राम सूभरी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

1-मु०अ०सं० 99/22 धारा 302 भादवि थाना बडगाँव सहारनपुर

2-मु०अ०सं० 102/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगाँव सहारनपुर

3-मु०अ०सं० 026/22 धारा 307/323/342 भादवि थाना बडगाँव सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1- श्री सोवीर नागर थाना प्रभारी बडगाँव, सहारनपुर

2-उ०नि० श्री सन्दीप कुमार अधाना थाना बडगाँव, सहारनपुर

3-का० 433 सन्दीप कुमार थाना बडगाँव, सहारनपुर

4-रि०का० 2395 अखिलेश बाबू थाना बडगाँव, सहारनपुर

5-है०का० चालक राय साहब थाना बडगाँव, सहारनपुर



प्रेस नोट दि० 12.6.2022

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा तलाश वांछित अभियान चलाया गया जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सर्किल नकुड जिला सहारनपुर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक विशाल श्रीवास्तव द्वारा टीम गठित की गयी तथा थाना रामपुर मनि० जिला सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०स० 195/22 धारा 304 भा०द०वि०-के वांछित अभि० मिन्टू उर्फ आदेश पुत्र कंवरसिंह निवासी सहजवा थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर को समय करीब 09.20 बजे को उसके मसकन से गिरफ्तार कर अभियुक्त को जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त गण के नाम व पता –

मिन्टू उर्फ आदेश पुत्र कंवरसिंह निवासी सहजवा थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

पुलिस पार्टी –

1. व०उ०नि० श्री कपिल देव थाना रामपुर मनि० सपुर
2. का० 1857 राहुल पोसवाल थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर



प्रेस नोट दिनांक 12.06.2022

थाना नानौता जिला सहारनपुर

अवगत कराना है कि दिनांक 12.06.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन एव पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के कुशल पर्यवेक्षण मे वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे थाना नानौता पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त सतीश पुत्र वेदपाल नि0 ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता जिला सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0 142/22 धारा 323/325/504 भादवि को लार्ड कृष्ण पब्लिक स्कूल के सामने से समय करीब 10.00 बजे गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का नाम पता:-

1-सतीश पुत्र वेदपाल नि0 ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1-थानाध्यक्ष श्री चन्द्रसैन सैनी थाना नानौता जिला सहारनपुर।

2-व0उ0नि0 श्री शीतल कुमार शर्मा थाना नानौता जिला सहारनपुर।

3-का0 772 अजय कुमार थाना नानौता जिला सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 12.06.2022

थाना मण्डी पुलिस द्वारा अवैध तमंचा / कारतूस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:—
दिनांक 11-06-2022 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा वाल्मिकी मन्दिर के पास से अभि० अबुजर पुत्र सलीम नि० निकट शक्को वाली मस्जिद सराय मर्दान अली थाना मण्डी, सहारनपुर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु०अ०सं० 186/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।